

तारीख हुकम

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

26/11/19

पुत्री अधिवक्ता को अपुत्रीगण के नोटिस पेश करने का अन्तिम अवसर दिया जाता है। अपुत्रीगण पेश दिनांक पर अपुत्रीगण के नोटिस पेश करें। पतावली 28/11/19 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं कायपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) फलोदी

2/8/19

पुत्री अधिवक्ता को अपुत्रीगण के नोटिस पेश करने के पश्चात् अवसर दिए गए लेकिन पुत्री अधिवक्ता द्वारा नोटिस पेश नहीं किए गए। न्यायालय सत्र के दौरान पुत्री अधिवक्ता को बार-बार रोक रोक कर आवाजे लगावाई गए लेकिन पुत्री अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। हमसे ऐसा प्रतीत होता है कि पुत्री अधिवक्ता पत्र को आगे चलाने में रुचि नहीं रखता है। अतः अधिनियम 212 RTA को अदालत पेशी अदालत धरणी में अर्पित किया जाता है। पतावली फिलहाल सुधार

दोहर नम्बर से एक फात दोहर मुसवादा पतावली के साथ मल्लि हो।

सहायक कलक्टर एवं कायपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) फलोदी